



F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1554 का संशोधन सहित नवीकरण/  
Renewal of Type Approval No. 1554

विषय/Sub: नॉन रिटर्न वाल्व व्यास 12 मिमी /Non Return Valve Dia 12 mm

यह घोषित किया जाता है कि वैमानकीय विकास अभिकरण, बेंगलूरु - 560 037 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (जीटीटीसी), बेंगलूरु - 560 010, कर्नाटक द्वारा उत्पादित "नॉन रिटर्न वाल्व व्यास 12 मिमी" पार्ट सं. ए1के-आई7-1170-000-002 और ए1के-आई7-117-000-003 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1554, दिनांक 11 नवंबर 2010, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1554 जारी किया गया था तदुपरांत सेमिलैक/5070/टीए-1554/1ए दिनांक 07 जून 2013, सेमिलैक/5070/टीए-1545/अनुशेष-1, दिनांक 19 अप्रैल 2011 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था और संदर्भ सं. सेमिलैक/टीए-1554 एवं 18 टीए/1ए/संशोधन-1, दिनांक 15 दिसंबर 2015 द्वारा संशोधन जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध था।

*This is to state that the "Non Return Valve" bearing the Part No. A1K- I7-1170-000-002 & A1K-I7-117-000-003 Designed, Developed by Aeronautical Development Agency, Bengaluru - 560 017 and Manufactured by M/s. Government Tool Room and Training Centre (GTTC), Bengaluru - 560 010, Karnataka, was issued with Type Approval No.: 1554 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1554, Dated: 11<sup>th</sup> November 2010 and subsequently Addendum issued vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1554/1A, Dated: 07<sup>th</sup> June 2013, CEMILAC/5070/TA-1545/Addm-1, dated : 19<sup>th</sup> April 2011 & Amendment issued vide Ref. No.: CEMILAC/TA-1554 & 18 TAs/1A/Amd-1 Dated: 15<sup>th</sup> December 2015, which was valid up to 31<sup>st</sup> December 2015.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मई 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए.(वायुयान), सेमिलैक, मारतहल्ली पी.ओ, बेंगलूरु - 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेगी।

*This is to Certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> May 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2021 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.*

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1555/1R

दिनांक/Date : 15 June 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

पी. जयपाल / P.JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)